ॐ

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

आदेश

संख्या– वि० प्रा० (I) आरोप–23/2018/ /पटना, दिनांक –

श्री विरेन्द्र कुमार राय, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक टेकारी, गया सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, औरंगाबाद के विरूद्ध 1.श्रीमती मीनाक्षी, व्याख्याता (रसायन) का स्थानांतरण आदेश के बावजूद विरमित नहीं करने, 2.दिनांक–16.11.2018 को डॉ0 विधि लाल प्रभाकर, वरीय व्याख्याता (गणित), राजकीय पोलिटेकनिक टेकारी, गया को थप्पड़ मारने, 3.गर्भवती महिला शिक्षिका को प्रताड़ित करने, 4.संस्थान में कार्यरत शिक्षिको को 'ऐकार' लगाकर बोलने तथा 5.संस्थान में वरीय शिक्षकों को महत्वपूर्ण पद से हटाकर नवनियुक्त एवं संविदा पर नियुक्त व्याख्याताओं को मनोवांछित कार्य दिये जाने के संबंध में परिवाद पत्र प्राप्त हुआ।

उक्त परिवाद पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–2412 दिनांक–10.07.2019 द्वारा श्री विरेन्द्र कुमार राय, प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, औरंगाबाद से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री विरेन्द्र कुमार राय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषपद्र नहीं पाया गया।

वर्णित स्थिति में, श्री राय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके बचाव के लिखित अभिकथन की समीक्षा के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपो की विस्तृत जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 के अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या–12 दिनांक–03.01.2020 के द्वारा के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

डॉ० श्रीभगवान सिंह, प्राचार्य–सह–संचालन पदाधिकारी, राजकीय पोलिटेकनिक, गुलजारबाग, पटना–7 के पत्रांक–153 दिनांक–14.02.2023 द्वारा श्री विरेन्द्र कुमार राय, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, टेकारी, गया सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, औरंगाबाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में सभी आरोप प्रमाणित पाये गये।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विरेन्द्र कुमार राय, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक टेकारी, गया सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, औरंगाबाद के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 14 के तहत (i) 2 (दो) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार श्री विरेन्द्र कुमार राय, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक टेकारी, गया सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, औरंगाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 14 के तहत (i) 2 (दो) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(अहमद महमुद)

सरकार के अपर सचिव सह–निदेशक,

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) आरोप–23/2018/ 4918 **/पटना, दिनांक –** 04/9/25

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग/निदेशक कोषांग/प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, औरंगाबाद–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/श्री विरेन्द्र कुमार राय, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक टेकारी, गया सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/9/25

सरकार के अपर सचिव सह–निदेशक,

प्रशाखा–6/28.08.25 D:\DST 2025\SHWETA ASO\UNDER SECRETARY